

न्यायमूर्ति ठक्कर-नटराजन जाच  
आयोग  
(फैयरफैक्स ग्रुप इक. के उपयोग के संबंध में जाच)

की

Y:45R.2.N8t  
M7

रिपोर्ट

Y:45R.2.N8t  
M7  
222100

1987

ananjayarao Gadgil Library



GIPE-PUNE-222100

न्यायमूर्ति ठक्कर-नटराजन जांच  
आयोग  
(फेयरफैक्स ग्रुप इक. के उपयोग के संबंध में जांच)

की

रिपोर्ट

1987

## आयोग के सदस्य

अध्यक्ष	:	न्यायमूर्ति श्री एम.पी. ठक्कर
सदस्य	:	न्यायमूर्ति श्री एस. नटराजन

.....

आयोग के वकील  
श्री जी. रामास्वामी  
भारत के अपर महासालिसिटर

केंद्रीय सरकार के वकील  
श्री कुलदीप सिंह  
भारत के अपर महासालिसिटर

श्री नसली एन. याडिया के वकील  
श्री राम जेठामालानी

.....

## विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
I	भूमिका	1-13
II	आयोग को भोजी गई सरकारी फाइलों में निर्दिष्ट सूचना के अभाव तथा भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्री द्वारा दायर किए गए लिखित ब्यान और इस सूचना के अभाव के संदर्भ में जांच कार्रवाई के लिए अनुयती आवश्यकता	14-16
III	जांच आयोग (केन्द्रीय) नियमावली, 1972 के नियम 5(2)(ख) के अनुसार आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की प्रतिक्रिया	17-19
IV	आयोग के कार्य के स्वरूप के संदर्भ में कुछ गलत धारणाएं जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है।	20-22
V	जांच आयोग अधिनियम 1952 में कमियां, जिनसे इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग को सौंपे गए काम में हानि हो सकती है अथवा उसका प्रयोजन ही निष्फल हो सकता है।	23-27
VI	जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत गठित अनेक आयोगों का कठिन कार्य करने हेतु न्यायाधिक संस्थाओं की ओर से बुलाए गए न्यायपालिका के सदस्यों की सुरक्षा की आवश्यकता।	28-33
VII	जांच के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आयोग पर गैर न्यायोचित दबाव ताकि ऐसे मामलों को भी शामिल किया जा सके जो कि आयोग के सम्मुख मुद्दे नहीं थे	34-36
VIII	क्या सर्वश्री गौयनका (अध्यक्ष, इंडियन एक्सप्रेस), गुरुमूर्ति, (इंडियन एक्सप्रेस के एक संपादक), पांडे (भूतपूर्व राजस्व सचिव और भुरेलाल (भूतपूर्व प्रवर्तन निदेशक)ने फेयरफैक्स के श्री हर्शमेन जो उसके अध्यक्ष थे, को समपाश्च प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप से नियुक्त किया था ?	37-43
IX	श्री हर्शमेन के माध्यम से मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इंक की सेवाओं का उपयोग किए जाने के संबंध में श्री एस. गुरुमूर्ति द्वारा अदा की गयी भूमिका-आयोग के पत्रों के उत्तर में श्री गुरुमूर्ति का जानकारी देने से इंकार	44-56
X	श्री भुरेलाल, तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक द्वारा मैसर्स फेयरफैक्स ग्रुप इंक., एक विदेशी गुप्तचर एजेंसी की सेवाओं का उपयोग जिन परिस्थितियों में किया गया, उनका ब्योरा	57-64

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
XI	क्या तत्कालीन राजस्व सचिव (श्री पी.बी.पांडे), फेयरफेक्स इंक, विदेशी गुप्तधर एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त करने से संबंधित मामलों के बारे में जानते थे और यदि हाँ, तो क्या ?	65-71
XII	तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कथित आर्थिक अपराधों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विदेशी निजी जासूसी अभिकरण की सेवाओं का उपयोग करने के विषय में क्या और किस सीमा तक जानते थे और क्या उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति दी थी ?	72-78
XIII	क्या श्री नसली एन. यादविया ने पदों के पीछे से ऐसा हेरफेर किया कि एक गैर-सरकारी अमरीकी जासूसी अभिकरण की सेवाओं को (मैसर्स फेयरफेक्स ग्रुप इन्कॉर्पोरेटेड) भारत सरकार की ओर से ध्वस्त निदेशालय के तत्कालीन निदेशक श्री भुरेवाल की मार्फत भारत सरकार के द्वारा उपयोग में लाया गया	79-99
XIV	क्या मैसर्स फेयरफेक्स इन्कॉर्पोरेटेड (श्री हरमिन; अध्यक्ष) जांच के लिए एक उपयुक्त निजी जासूस एजेन्सी थी और क्या यह इस प्रयोजन के लिए सुसज्जित थी ?	100-115
XV	सामान्यतः किसी विदेशी गुप्तधर एजेन्सी की नियुक्ति या उसकी सेवाओं के उपयोग में और विशेषतः मैसर्स फेयरफेक्स ग्रुप इंक. में अन्तर्गत जोखिम	116-122
XVI	रूपरेखा तथा निष्कर्ष	123-131